विचार बिन्दु

उपदेश के बजाय कहीं ज्यादा हम करके सीखते हैं। –बर्क

पश्चिम बंगाल के चुनावों की वैधता पर प्रश्नचिन्ह

पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव 23 और 29 अप्रैल 2026 को होंगे। गत विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यह नारा दिया था कि "अब की बार 200 पार" और वह विधानसभा की कुल 294 सीटों में केवल 77 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इसी प्रकार, गत लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने "अब की बार 400 पार" का नारा दिया और वह 240 पर आकर अटक गई। शायद, भाजपा को लगने लगा है कि उसकी लोकप्रियता में धीरे-धीरे कमी आ रही है और चुनाव जीतने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। संभव है, इसी सोच के चलते भाजपा ने एस आई आर का तरीका निकाला ।

सबसे पहले एस आई आर अर्थात् स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार चुनाव से ठीक पहले कराया गया। इसका खूब विरोध हुआ किंतु निर्वाचन आयोग की हठधर्मिता के कारण किसी की नहीं चली। सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिकाएं दायर हुईं किंतु वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। बिहार में एन डी ए ने अच्छे बहुमत से चुनाव जीता और सरकार बनाई। बिहार की चुनावी सफलता से उत्साहित होकर भाजपा ने सभी राज्यों में एस आई आर कराने का निर्णय ले लिया।

पूरे देश में मतदाता सूचियों के "स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन" का कोई प्रावधान चुनाव संबंधी कानून में नहीं है, किंतु बिहार में पहली बार इसे अचानक करने की घोषणा की गई। जब एस आई आर की आड में लाखों लोगों के नाम कटने का काम शुरू हुआ तो विभिन्न राजनैतिक दल और स्वैच्छिक संगठनों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर कीं। इनकी अनेक बार सुनवाई हुई और माननीय न्यायाधीशों ने कई बार सुनवाई के दौरान मौखिक निर्देश भी दिए, किंतु न तो अंतिम फैसला दिया गया और न ही एस आई आर की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। कुल मिलाकर एस आई आर केवल मतदाताओं के नाम काटने का उपक्रम बन कर रह गया। जिन घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करने की आड में निर्वाचन आयोग, एस आई आर की जिद पर अडा रहा, उनकी संख्या आखिर तक निर्वाचन आयोग नहीं बता पाया। यह संख्या कुछ सैंकडों से अधिक नहीं थी और इन्हें भी देश से निकालने की कोई कार्यवाही भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा नहीं की गई। हां, इस प्रक्रिया में लाखों वैध मतदाताओं के नाम अवश्य कट गए। फलस्वरूप, एन डी ए को बिहार विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित सफलता मिली।

यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस आई आर की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है जब कि बहस पूरी हुए कई महीने हो गए हैं। इसी बीच पुडुचेरी, केरल और असम के चुनाव हो चुके हैं और अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे हैं जिनका परिणाम 4 मई, 2026 को आएगा।

सबसे ज्यादा विवादास्पद, पश्चिम बंगाल का एस आई आर रहा है। वहां पर तृणमूल कांग्रेस और विशेष कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एस आई आर का घोर विरोध किया। उनके द्वारा, विभिन्न प्रकार की त्रुटियां सामने लाई गईं । उच्चतम न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं उपस्थित हो कर बहस भी की।

एस आई आर में कई खामियां और समस्याएं सामने आने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने कोई प्रभावी दखल इसमें नहीं दिया। इसके कारण निर्वाचन आयोग, विशेष कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी मनमानी करने में सफल रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण ही इनको हटाने का प्रस्ताव विपक्ष राजनीतिक दलों के द्वारा संसद में लाया गया किंतु उसे राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार, ज्ञानेश कुमार को एक प्रकार से अभयदान मिल गया है।

पश्चिम बंगाल की एस आई आर में लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम कटे, जिनमें से 64 प्रतिशत हिंदू और 34 प्रतिशत मुस्लिम हैं। इस कारण भाजपा जो हासिल करना चाहती थी, वह शायद तृणमूल कांग्रेस की सक्रियता के कारण पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई है। चाहे एक मतदाता का नाम कटे या 90 लाख का, यह पूरी तरह मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। कहा जाता है कि मतदाता मिलकर सरकार चुनते हैं किंतु जिस प्रकारकी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई, उससे तो ऐसा लगता है कि सरकार मतदाता चुन रही है कि कौन मतदाता रहेगा और कौन नहीं। जिन मतदाताओं के नाम कटे, उनमें कई प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित हैं। इनमें वे लोग भी हैं जिन्होंने एस आई आर की प्रक्रिया को संपादित कराया। संविधान की मूल प्रति में चित्रांकन का काम करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस के पोते तक का नाम सूची में से कट गया है। कई न्यायाधीशों तक के नाम भी कटे हैं।

किसी भी भारतीय नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित करना और निर्वाचन आयोग द्वारा इसके बारे में कोई स्थिति तक स्पष्ट नहीं करना, एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या के समान है। मतदाता सूची किसी भी चुनाव का मूल आधार है और वही जब अशुद्ध होगी तो कैसे चुनाव को शुद्ध कहा जाएगा?

अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल का एस आई आर सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। यहां अनेक अधिकारियों को जिनमें मुख्य सचिव और महानिदेशक पुलिस तक सम्मिलित हैं, को चुनाव आयोग द्वारा बदल दिया गया। "लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी" के नाम पर 27.16 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। उन पर सुनवाई करने हेतु लगभग 500 न्यायाधीशों को लगाया गया। ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ है।

"लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी" की यह अवधारणा पहली बार निर्वाचन आयोग ने लागू की है। कई बार नाम की स्पेलिंग में गलतियां होती हैं या एक ही नाम कई प्रकार से लिखा जाता है । इसी को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम दिया गया ।

जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो सुनवाई के दौरान एक माननीय न्यायाधीश ने यहां तक कह दिया कि यदि किसी का नाम मतदान की तारीख तक शामिल नहीं हुआ तो वे अगले चुनाव में वोट डाल सकते हैं। यह तर्क बिल्कुल विचित्र है कि किसी वैध मतदाता को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाय। मतदाता सूचियों पर आई सभी आपत्तियों का निराकरण किए बिना चुनाव करवाना अवैध माना जाएगा।

27.16 लाख लाख संभावित वैध मतदाताओं के नाम काटने का अर्थ यह हुआ कि एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9000 लोगों के नाम कटे हैं। जिन क्षेत्रों में चुनाव में जीत - हार का अंतर 5000 से कम रहता है वहां पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकता है। इन लोगों को ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए कहा गया है और 23 अप्रैल, 2026 को चुनाव है। यह संभव नहीं है कि इन पर निर्णय उससे पहले हो पाएगा। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को मतदाता सूची 'freeze' कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल के दोनों चरणों के नामांकन की अंतिम तिथि क्रमश: 6 और 9 अप्रैल को निकल चुकी हैं। अत: इसमें अब नाम कैसे जोडे जाएंगे, यह स्पष्ट नहीं है।

किसी भी भारतीय नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित करना और निर्वाचन आयोग द्वारा इसके बारे में कोई स्थिति तक स्पष्ट नहीं करना, एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या के समान है। मतदाता सूची किसी भी चुनाव का मूल आधार है और वही जब अशुद्ध होगी तो कैसे चुनाव को शुद्ध कहा जाएगा?

जब चुनाव के बाद उच्च न्यायालय में निर्वाचन को चुनौती दी जाएगी तो, स्वाभाविक रूप से उच्च न्यायालय के पास उस चुनाव परिणाम को निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचेगा । इन सारी परिस्थितियों में यह प्रश्न तो उठता ही है कि निर्वाचन आयोग को क्या जल्दी थी एस आई आर करने की? क्यों वह देश के नागरिकों और राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का कोई उत्तर सार्वजनिक रूप से नहीं दे रहा है?

राज्यों की एस आई आर के लिए निर्धारित समय सीमा इतनी अव्यावहारिक थी कि उसे कई बार निर्वाचन आयोग को बढाना पडा। वर्तमान निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनैतिक दलों का आरोप है कि वे अपने कार्य और व्यवहार से भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि न्याय न केवल होना चाहिए अपितु होता हुआ दिखाई भी ऐसा देना चाहिए। एस आई आर में न तो न्याय हुआ न होता हुआ दिखाई दिया।

यह सही है कि चुनावों के दौरान राज्य का प्रशासन सीधा निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है, किंतु ऐसा लगता है कि इस निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल के इशारे पर सारे काम किए हैं।

निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है किंतु इसका अर्थ उसके द्वारा मनमानी करना नहीं हो सकता। उसका यह दायित्व बनता है कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के द्वारा उठाया गए प्रश्नों का समुचित प्रकार से समाधान करे। ज्ञानेश गुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर कोई उत्तर तक नहीं दिया । यही नहीं तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद और अन्य प्रतिनिधि ज्ञानेश गुप्ता से मिलने के लिए गए तो उन्होंने 5 मिनट में इन लोगों को अपने कमरे से बाहर निकाल कर मीटिंग समाप्ति की घोषणा कर दी। निर्वाचन आयोग का, निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति यह व्यवहार लोकतंत्र में किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता है ।

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत चाहे किसी की क्यों ना हो, निर्वाचन आयोग के कारण वहां के अनेक मतदाता अपने मताधिकार से वंचित तो हो ही गए हैं । इसे केवल लोकतंत्र की हार ही कहा जाएगा । ज्ञानेश कुमार अथवा निर्वाचन आयोग को, इस प्रकार का निरंकुश व्यवहार करने का अधिकार न संविधान देता है न लोकतांत्रिक व्यवस्था । यदि वह ऐसा कर पाए हैं तो केवल सत्ताधारी दल भाजपा के पूर्ण संरक्षण के कारण। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की वैधता पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही गया है । चुनाव परिणाम आने के बाद भी कई याचिकाएं लगने की संभावना है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि भाजपा ने एस आई आर के सहारे ही चुनावी वैतरणी पार करने का निर्णय लिया है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

728 किमी का सफर: नर्मदा का नीर पहुंचा देश के आखिरी गांव 'सुंदरा' तक, बदली ज़िंदगी की धारा

मानसिंह मीणा

राजस्थान के बाड़मेर जिले की भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसा सुंदरा गाँव एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना है। आज़ादी के बाद पहली बार इस दूरस्थ रेगिस्तानी गाँव के हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुँचा है। यह केवल पानी की आपूर्ति नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही कठिनाइयों पर जीत और नई उम्मीदों की शुरुआत है।

सदियों पुराना गाँव, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से दूर :- सन् 1734 में स्थापित सुंदरा कभी क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत माना जाता था। लगभग 1345 वर्ग किलोमीटर में फैले इस गाँव का जीवन हमेशा से रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों से जुड़ा रहा है। बाड़मेर मुख्यालय से करीब 170 किलोमीटर दूर बसे इस गाँव के लोगों को पीने के पानी के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा।

यहाँ का भूजल इतना खारा था कि इंसानों के साथ-साथ पशु भी उसे पीने से कतराते थे। सरकार द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल भी बेकार साबित हुए। मजबूरी में लोगों को 15-20 किलोमीटर दूर अन्य गाँवों से पानी ढोकर लाना पड़ता था।

युद्ध और विस्थापन की पीड़ा : -भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965 और भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान इस सीमा क्षेत्र के गाँव को खाली करवा दिया गया था। ऐसे में सुंदरा के लोगों ने न सिर्फ प्राकृतिक कठिनाइयों, बल्कि ऐतिहासिक चुनौतियों का भी सामना किया।

नर्मदा का नीर: एक असंभव को संभव करने वाली परियोजना

इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या- पेयजल-का समाधान बना नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना। सरदार सरोवर बांध से शुरू होकर नर्मदा का पानी 728 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सुंदरा तक पहुँचा। करीब 513 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 200 से अधिक गाँवों तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया, 16 बड़े जल संग्रहण केंद्र बनाए गए, कई पम्पिंग स्टेशन स्थापित किए गए, 80 से अधिक एलिवेटेड सर्विस रिज़र्वायर तैयार किए गए, रेत के ऊँचे-ऊँचे टीलों को काटकर पाइपलाइन बिछाना, बिजली की कमी और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा प्रतिबंधकृइन सभी बाधाओं को पार करते हुए यह परियोजना पूरी की गई।

जब सपना हकीकत बना : - सुंदरा के लोगों के लिए यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। 80 वर्षीय महिलाओं ने पहली बार अपने घर के सामने मीठे पानी का नल देखा। दशकों तक खारा पानी पीने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ाकृदाँत पीले होना, हड्डियाँ कमजोर होना और समय से पहले बुढापा आम बात थी।

गाँव की महिलाओं को रोजाना कई किलोमीटर दूर पानी लाने की मजबूरी से अब मुक्ति मिल गई है। अब न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

नई शुरुआत की ओर कदम : - आज सुंदरा गाँव में नल से बहता पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि विकास, सम्मान और बेहतर जीवन का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी बताती है कि सही योजना, दृढ़ संकल्प और तकनीकी प्रयासों से देश के सबसे कठिन इलाकों में भी बदलाव संभव है।

–मानसिंह मीणा,
उप निदेशक (जनसम्पर्क)
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर

ऑर्गन, ब्लड एवं आई डोनेशन और धार्मिक जड़ता : जब आस्था मानवता पर भारी पड़ने लगे

सुनील दत्त गोयल

भारत में अंगदान और रक्तदान पर चर्चा अब केवल स्वास्थ्य या जागरूकता तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह सामाजिक व्यवहार और धार्मिक व्याख्याओं के टकराव का विषय बन चुकी है। ऑर्गन, ब्लड और आई डोनेशन जैसे जीवनरक्षक विषयों पर जब हम आंकड़ों की ज़मीन पर खड़े होकर सोचते हैं, तो एक असहज सच्चाई सामने आती है - हमारे समाज में जागरूकता से ज़्यादा भ्रम है, और सेवा से ज़्यादा संकोच।

खासतौर पर यह आरोप बार-बार सामने आता है कि कुछ समुदायों में - विशेषकर मुस्लिम समाज के एक हिस्से में - अंगदान और रक्तदान को लेकर हिचक या इंकार देखने को मिलता है, और इसके पीछे धार्मिक कारण बताए जाते हैं।

लेकिन जब हम इस मुद्दे को भावनाओं से हटाकर तथ्यों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो कई महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आते हैं।

वैश्विक परिदृश्य: दुनिया क्या कहती है?

वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाईजेशन के अनुसार:

-हर साल दुनिया भर में 1.5 लाख से अधिक अंग प्रत्यारोपण किए जाते हैं

-जबकि वास्तविक ज़रूरत इससे 10 गुना अधिक है

-रक्तदान की मांग हर देश में निरंतर बढ़ रही है, विशेषकर आपातकालीन सेवाओं, कैंसर, थैलेसेमिया, किडनी और ट्रॉमा मामलों में।

यूरोप और अमेरिका के कई देशों में ऑर्गन डोनेशन को धर्म नहीं, नागरिक कर्तव्य माना जाता है। स्पेन जैसे देशों में ऑप्ट-आउट मॉडल लागू है, जहाँ मृत्यु के बाद अंगदान स्वत: मान्य होता है, जब तक व्यक्ति ने मना न किया हो।

भारत की हकीकत: जरूरत बहुत, दान कम

नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाईजेशन के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं:

-भारत में हर वर्ष लगभग 5 लाख लोग अंगों की कमी के कारण जान गंवा देते हैं

-भारत का ऑर्गन डोनेशन रेट 0.5 प्रति मिलियन जनसंख्या है

-जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 20-40 प्रति मिलियन तक है

ब्लड डोनेशन के मामले में भी:

-भारत को हर साल लगभग 1.4 करोड़ यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है

-स्वैच्छिक रक्तदान अब भी जरूरत से बहुत कम है

यहाँ यह तथ्य नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की रीढ़ सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज को छोड़कर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई एवं अन्य संस्थाएँ सक्रिय रही हैं।

वैश्विक इस्लामी परिप्रेक्ष्य: जहाँ जीवन बचाना प्राथमिकता है

दुनिया के कई प्रमुख मुस्लिम-बहुल देशों - जैसे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), तुर्की और ईरान में:

-अंगदान पूरी तरह कानूनी और संस्थागत रूप से स्वीकृत है

-ब्लड बैंक सरकार द्वारा संचालित और व्यवस्थित हैं

-इस्लामी विद्वानों द्वारा कई बार स्पष्ट किया गया है कि

जरूरतमंद की जान बचाना सर्वोच्च कर्तव्य (फ़र्ज़) है

ईरान जैसे देश में तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिस्टम इतना विकसित है कि वह क्षेत्र में मॉडल माना जाता है।

इसका सीधा अर्थ है कि

इस्लाम की मूल शिक्षाओं में अंगदान या रक्तदान निषेध नहीं है,

बल्कि परिस्थितियों के अनुसार इसे स्वीकार किया गया है।

यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है:

जब अन्य इस्लामी देश विज्ञान और मानवता के साथ खड़े हो सकते हैं,

तो भारत में कुछ समूह समाज को भय और संदेह की ओर क्यों धकेल रहे हैं?

भारत में अलग व्यवहार क्यों?

यही सबसे बड़ा प्रश्न है -

अगर वही धर्म:

-सऊदी अरब में अंगदान की अनुमति देता है

-दुबई में ब्लड डोनेशन कैंप चलाता है

-ईरान में ट्रांसप्लांट सिस्टम को समर्थन देता है

तो भारत में कुछ लोग इसे धार्मिक रूप से गलत कैसे बता देते हैं?

यहाँ समस्या धर्म नहीं, बल्कि

स्थानीय स्तर पर फैली गलतफहमियाँ, अधूरी जानकारी और सामाजिक नेतृत्व की कमी है।

'काफिर' तर्क और उसका व्यावहारिक विरोधाभास

अक्सर एक तर्क यह भी सुनने को मिलता है कि

इस्लाम में काफिर (गैर-मुस्लिम) से संबंध सीमित रखने की बात कही जाती है, और इसी आधार पर अधिकतर लोग रक्तदान या अंगदान से बचते हैं।

लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है:

अगर काफिर से लेना या देना गलत है,

तो फिर -

-अस्पताल में इलाज के दौरान

-ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय

-ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय

यह भेदभाव क्यों नहीं किया जाता? जिन्हें तुम काफ़िर समझते हो, उनका खून अगर तुम्हारी रगों में बह रहा है, तो ये खुदा को कैसे मंज़ूर होगा?

वास्तविकता यह है कि:

-आपात स्थिति में मरीज धर्म नहीं, जीवन देखता है

-डॉक्टर मानव शरीर की जरूरत देखता है, न कि आस्था

इसलिए यह कहना कि

लेना ठीक है, लेकिन देना गलत है न तो धार्मिक दृष्टि से तार्किक है और न ही नैतिक दृष्टि से सही है।

आस्था बनाम अतिवाद: समस्या कहाँ है?

यह लेख किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि धार्मिक कट्टरता (रिलीजियस एक्सट्रेमिसम) के विरुद्ध है - जो आस्था को डर और भ्रम में बदल देती है।

भारत में यह देखा गया है कि:

-कुछ कट्टरपंथी विचारधाराएँ ब्लड और ऑर्गन डोनेशन को धार्मिक रूप से संदिग्ध बताकर लोगों को रोकती हैं

-जबकि इस्लामी जगत के कई देशों में यही कार्य धार्मिक अनुमति और सरकारी समर्थन के साथ हो रहा है

यह विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है - अगर धर्म वही है, तो व्यवहार इतना अलग क्यों?

धार्मिक कट्टरता का दुष्परिणाम

धार्मिक कट्टरता का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि:

-वह व्यक्ति को सोचने से रोकती है

-समाज को टुकड़ों में बाँटती है

-और विज्ञान को षड्यंत्र बताती है

जब कट्टरता यह सिखाती है कि:

-फलाँ धर्म का खून स्वीकार्य नहीं

-अंगदान से आत्मा को नुकसान होगा

तो वह न केवल संविधान के विरुद्ध जाती है, बल्कि मानवता के भी।

विज्ञान का स्पष्ट उत्तर

मेडिकल साइंस के अनुसार:

-रक्त का कोई धर्म नहीं होता

-अंगों पर कोई मज़हबी टैग नहीं लगा होता

-ट्रांसप्लांट से आत्मा या पहचान प्रभावित नहीं होती

अस्पताल में मरीज़ की जान बचाते समय:

-डॉक्टर धर्म नहीं पूछता

-ब्लड बैंक जाति नहीं देखता

तो फिर समाज में यह भेद क्यों?

कानून की भूमिका: अब सख्ती क्यों ज़रूरी है?

आज भारत में:

-ब्लड डोनेशन पूरी तरह स्वैच्छिक है

-ऑर्गन डोनेशन में जागरूकता और प्रक्रिया दोनों कमजोर हैं

अब समय आ गया है कि:

-स्कूल और कॉलेज स्तर पर ऑर्गन डोनेशन शिक्षा अनिवार्य हो

-अस्पतालों में डिजिटल ऑर्गन डोनर रजिस्ट्रेशन हो

-मृत्यु के बाद अंगदान पर ऑप्ट-आउट मॉडल पर गंभीर बहस हो

-और जानबूझकर भ्रम फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो

यह धर्म-विरोध नहीं, जीवन-संरक्षण नीति है।

जीवन सबसे बड़ा धर्म

भारत एक ऐसा देश है जहाँ:

-सभी धर्मों की मूल भावना सेवा और करुणा है

-लेकिन अतिवाद इन मूल्यों को धुंधला कर देता है

आज ज़रूरत है:

-आस्था को विवेक से जोड़ने की

-धर्म को मानवता से ऊपर न रखने की

-और यह समझने की कि जीवन बचाना किसी एक धर्म का नहीं, पूरे समाज का कर्तव्य है

क्योंकि अंतत:,

जिस खून से किसी की साँसें चलती हैं, वह केवल इंसान का खून होता है।

अंतिम प्रश्न: समाज खुद से जवाब मांगे

आज समय आ गया है कि समाज खुद से कुछ कठोर प्रश्न पूछे:

-क्या हम अपने ही लोगों को केवल भ्रम के कारण मरने देंगे?

-क्या हम दान लेने में तो आगे रहेंगे, लेकिन देने से पीछे हटेंगे? अगर लेना जायज़ है, तो देना गुनाह कैसे हो गया - या फिर यह सिर्फ संकीर्ण स्वार्थी सोच है?

-क्या हम धर्म के नाम पर मानवता को कमजोर करेंगे?

यदि इन सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर बदलाव भी हमें ही लाना होगा।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

कृषि विभाग ने बीकानेर जिले में 65 उर्वरक विक्रेता प्रतिष्ठानों की जांच की

बीकानेर, (निसं)। किसानों को समय पर और सही उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने जिले में बड़ा एक्शन लिया है। यूरिया के डायवर्जन और जमाखोरी की आशंकाओं के बीच चलाए गए विशेष अभियान में 65 उर्वरक विक्रेता प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनियमितताएं मिलने पर 27 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि 3 फर्मों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के निर्देशों पर चलाए गए इस अभियान में अतिरिक्त निदेशक (कृषि) त्रिलोक कुमार जोशी और संयुक्त निदेशक मदनलाल के नेतृत्व में टीमों ने जिलेभर में सघन जांच की। अभियान के दौरान 212 में से 65 उर्वरक विक्रेताओं के यहां औचक निरीक्षण किया गया। पीओएस मशीन के जरिए स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें कई जगह रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। इसके चलते संबंधित फर्मों को नोटिस जारी किए गए हैं और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह कार्रवाई केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उर्वरक सही किसानों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या अवैध परिवहन न हो। विभाग ने यह भी साफ किया है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण और एफआईआर जैसी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में कृषि विभाग के सुरेन्द्र मारू, राजू राम डोगीवाल, गिरीराज चारण, रामनिवास गोदारा, संगीता मेहता, कविता गुप्ता, सोमेश तंवर और मेघराज बंजारा सहित कई अधिकारी और पर्यवेक्षक शामिल रहे। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि धरती माता बचाओ और आपणो खेत-आपणी खाद अभियानों के तहत किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। हरी खाद और जैविक खाद के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य बेहतर होगा और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 14 अप्रैल, 2026

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2083, शतभिषा नक्षत्र सायं 4:06 तक, शुक्ल योग दिन 3:39 तक, कौलव करण दिन 12:4 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज त्रिपुष्कर योग सायं 4:06 से रात्रि 12:13 तक है। आज वैशाख संक्रांति, सूर्य मेष राशि में प्रवेश प्रात: 9:32 पर करेगा। पुण्य काल दिन 3:36 तक है। मीन मास समाप्त होगा। आज पंचक, वैशाखी, विशु (केरल) है। आज डा.अम्बेडकर जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:18 से 10:52 तक, लाभ-अमृत 10:52 से 2:02 तक, शुभ 3:37 से 5:11 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:46

मेष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मानसिक तनाव रहेगा।

सिंह
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कन्या
आर्थिक विवादों का निपटारा हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मकर
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।